मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-14

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

सोमवार, दिनांक 6 मार्च, 2006 (फाल्गुन 15, 1927)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.30 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 17 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

(श्रीमती जमुना देवी,नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा प्रश्न संख्या 13 (क्रमांक 391) के मामले पर विद्युत दरों तथा उसकी वसूली पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 95 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 67 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) डॉ. आई. एम.पी.वर्मा, सदस्य ने उमरिया जिले के ग्राम बल्होद में एक युवती की दहेज के कारण हत्या होने,

(2) डॉ. सुनीलम्, सदस्य ने बैतूल जिले में आंधी तूफान, ओलावृष्टि से कृषकों की फसल बर्बाद होने,

(3) श्री राम गुलाम उईके, सदस्य ने सिवनी जिले के अनेक ग्रामों में ओला वृष्टि से हुई हानि व किसानों को मुआवजा दिलाये जाने,

(4) डॉ. निशिथ पटेल, सदस्य ने बहोरीबंद जिला कटनी के खमतरा से कटरिया सलीमनाबाद से विलायतकला की सड़कों की जर्जर हालत होने, तथा

(5) श्री हमीद काजी, सदस्य ने बुरहानपुर जिले में आंधी एवं ओलावृष्टि से किसानों की खड़ी फसलें नष्ट होने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुई।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री कैलाश विजयवर्गीय, ऊर्जा मंत्री ने विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार ऊर्जा विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनायें पटल पर रखी :-

(1) अधिसूचना क्रमांक 37-म.प्र.वि.नि.आ.-2006, दिनांक 4 जनवरी, 2006,

(2) अधिसूचना क्रमांक 251/म.प्र.वि.नि.आ./2006, दिनांक 24 जनवरी, 2006,

(3) अधिसूचना क्रमांक 252-म.प्र.वि.नि.आ.-2006, दिनांक 24 जनवरी, 2006,

(4) अधिसूचना क्रमांक 260-म.प्र.वि.नि.आ.-2006, दिनांक 25 जनवरी, 2006; तथा

(5) अधिसूचना क्रमांक 283/म.प्र.वि.नि.आ./2006, दिनांक 27 जनवरी, 2006.

4. ध्यानाकर्षण

(1) श्री सत्यदेव कटारे, सदस्य ने भिण्ड जिले के अटेर क्षेत्र में नियमित रूप से विद्युत प्रदाय न होने से उत्पन्न स्थिति की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री कैलाश विजयवर्गीय, लोक निर्माण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) पं. हरिचरण तिवारी, सदस्य ने राजगढ़ जिले में कृषकों को फसल बीमा की राशि न मिलने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

चौधरी चन्द्रभान सिंह, कृषि मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

5. वर्ष 2005-2006 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार वर्ष 2005-2006 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया।

अध्यक्ष महोदय ने इस पर चर्चा और मतदान के लिए दिनांक 7 मार्च, 2006 को 2 घंटे का समय नियत किया।

6. समितियों के लिए सदस्यों का निर्वाचन

(1) लोक लेखा, प्राक्कलन तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समितियों के लिए सदस्यों का निर्वाचन

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि -

" सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 221 के उपनियम (3), नियम 223 के उपनियम (1) तथा नियम 223-क के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिए क्रमशः लोक लेखा, प्राक्कलन तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समितियों के सदस्य होने के लिए अपने में से 11-11 सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हों.".

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए सदस्यों का निर्वाचन

कुंवर विजय शाह, आदिम जाति कल्याण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि -

" सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 234-क के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से वर्ष 2006-2007 के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य होने के लिए अपने में से 15 सदस्यों के निर्वाचन के लिए (जिनमें क्रमशः चार-चार सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के होंगे) अग्रसर हों.".

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

निर्वाचन कार्यक्रम

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि -

लोक लेखा, प्राक्कलन, सरकारी उपक्रमों संबंधी एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समितियों के निर्वाचन का कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :-

(1) नाम-निर्देशन प्रपत्र विधान सभा सचिवालय में गुरूवार, दिनांक 9 मार्च, 2006 को अपराह्न 2.00 बजे तक प्रस्तुत किये जा सकेंगे ।

(2) नाम-निर्देशन प्रपत्रों की जांच शुक्रवार, दिनांक 10 मार्च, 2006 को अपराह्न 3.00 बजे से होगी।

(3) उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना मंगलवार, दिनांक 21 मार्च,2006 को अपराह्न 3.00 बजे तक इस सचिवालय में दी जा सकती है।

(4) निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान, गुरूवार, दिनांक 23 मार्च,2006 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक होगा।

(5) निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जायेगा।

उपर्युक्त निर्वाचनों हेतु अभ्यर्थियों के नाम प्रस्तावित करने एवं उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना देने के प्रपत्र विधान सभा सचिवालय स्थित सूचना कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं।

8. वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

(1) श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्यिक कर मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

अनुदान संख्या - 7	वाणिज्यिक कर के लिए चार सौ छप्पन करोड़,चौतीस लाख,नौ हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 11	वाणिज्य,उद्योग एवं रोजगार के लिए पचासी करोड़,अठावन लाख,अठासी हजार रूपये,तथा
अनुदान संख्या - 72	भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास के लिए अड़तीस करोड़,अठहत्तर लाख,सोलह हजार रूपये,

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	**कटौती प्रस्ताव क्रमांक**
मांग संख्या - 7	5,6,7
मांग संख्या - 11	2,3,4,5,8
मांग संख्या - 72	1

मांगों और कटौती प्रस्ताव पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री राजेन्द्र कुमार सिंह

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

(2) श्री लाल सिंह आर्य

(1.00 बजे से 2.36 बजे तक अन्तराल)

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

(3) श्री रामलखन शर्मा

(4) डॉ. सुनीलम

(5) श्री राजनारायण सिंह पुरनी

सभापति महोदय (श्री इन्द्रजीत कुमार) पीठासीन हुए.

(6) श्री ओमप्रकाश सखलेचा

(7) श्री अजय सिंह "राहुल भैया"

(8) श्री उमाशंकर गुप्ता

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(9) डॉ. निशिथ पटेल

(10) श्री गिरिराज मण्डलोई

सभापति महोदय (श्री लाल सिंह आर्य) पीठासीन हुए.

(11) श्री आरिफ अकील

(12) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा

(13) श्री दुर्गालाल विजय

श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्यिक कर मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री जयंत मलैया, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

अनुदान संख्या - 21	आवास एवं पर्यावरण के लिए सतानवे करोड़, तिहत्तर लाख, नब्बे हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 22	नगरीय प्रशासन एवं विकास-नगरीय निकाय के लिए दो सौ अठारह करोड, बारह लाख, चौहत्तर हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 53	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनांतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिए सैतीस करोड़, चौसठ लाख, आठ हजार रूपये,
अनुदान संख्या -68	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिए तेरह करोड़, उनतीस लाख, अड़तीस हजार रूपये, तथा
अनुदान संख्या -81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिए ग्यारह सौ छियानवे करोड़, छियासी लाख, तैतालीस हजार रूपये

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या - 21	3,10
मांग संख्या - 22	1,3,5,7,8
मांग संख्या - 81	1,2,4

मांगों और कटौती प्रस्ताव पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री सोबरन सिंह "बाबूजी"

सभापति महोदय (श्री इन्द्रजीत कुमार) पीठासीन हुए.

(2) श्री लक्ष्मण सिंह गौड़

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(3) डॉ. सुनीलम्

(4) श्री गिरिराज मंडलोई

(5) श्री रामलखन शर्मा

(6) श्री आरिफ अकील

(7) श्री बंशमणि प्रसाद वर्मा

(8) श्री शांतिलाल धवई

(9) श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल

(10) श्री गिरिजा शंकर शर्मा

(11) श्री लाल सिंह आर्य

(12) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर

श्री जयंत मलैया, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

07.02 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 7 मार्च, 2006 (फाल्गुन 16, 1927) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.